न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/12/2018 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 12.07.2018

उनवान

1. हेमलता पत्नी कैलाशचंद्र सुखवाल ब्राहम्ण निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) हाल निवासी पता 63 सी गांधीनगर सैक्टर नंबर 2 चित्तौड़गढ़ तहसील , जिला चित्तौड़गढ़ ।

——प्रार्थीया

बनाम

1. कालूराम पिता रामचंद्र जाति ब्राहम्ण निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. भैरूलाल पिता बिहारीलाल दर्जी निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) ।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना — प्रार्थीया
अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच —अप्रार्थी सं0 1
अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार —अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

निर्णय दिनांकः 30.03.2021

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात मौजा ग्राम धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की वर्तमान आराजी नंबर 2545 रकबा 0.32 हैक्टर नहरी भूमि स्थित है जिस पर कृषि कार्य करने, हल बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 2547 रकबा 0.06 हैक्टर एवं विपक्षी संख्या 2 की आराजी नंबर 2546 में होता हुआ आराजी नंबर 2541 डोरी तक जाता है।

यह कि इस रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है क्योंकि आराजी नंबर 2441 पर जाने के लिये तालाब में पानी के अंदर होकर जाना पडता है इसके अलावा 2545 पर तालाब की तरफ जाने पर भी आराजी नंबर 2544 व 2542 खातेदार विपक्षी नंबर 1 की आराजी में से ही होकर रास्ता है वही से होकर आना पडता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है यह रास्ता अत्यावश्यक होने से रास्ता दिलाने जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी नंबर [illegible] में पहुंचने का एक मात्र रास्ता गाडी, बैल, ट्रैक्टर, हल आदि ले जाने का रास्ता आराजी नंबर [illegible],2547 एवं डोरी पर जाने व कृषि साधन लाने ले जाने के लिये भी आराजी नंबर 2542, 2544 से होकर [illegible]या जाता है इसलिये आराजी नंबर 2546, 2547, 2542, 2544 में से प्रार्थीया को जाने आने हेतु करीब 5 मीटर चौडा रास्ता दिलाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:29 IST
Reason: SelfAttested

यह की प्रार्थीया को अपने आराजी पर यानि कृषि कार्य करने हेतु जाने पर विपक्षी द्वारा आराजी नंबर 2547 पर पक्का सीमेंट का पिल्लर बना लोहे की फाटक लगाकर ताला लगा दिया है जिससे प्रार्थी अपने खेत पर नहीं पहुंच पा रहा है व कृषि कार्य बाधित हो रहा है इसलिये अवलिंब आवश्यक रास्ता खुलवाये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के खेत पर जाने का उसके बैल, गाडी, मवेशी, हल, ट्रैक्टर लाने ले जाने कृषि उपकरण जिन्स लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगणों की आराजीयात संख्या 2542, 2544, 2546, 2547 में से 5 मीटर चौडा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें जिसकी लागत नियमानुसार प्रार्थीया खातेदार वहन करने को तैयार है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार हाजिर। हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब अनुसार यह निवेदन किया कि मेरी आराजी संख्या 2547 रकबा 0.06 हैक्टर जो आ0चा0 किस्म होकर कुंआ दर्ज है यहां पर कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीया द्वारा बताया गया रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के कुंए की छुट की जमीन है जो मेरे नाम दर्ज रेकार्ड है यहां पर मेरे द्वारा पिल्लर बना कर लोहे की फाटक बना रखी है प्रार्थीया का इस आराजीया में कोई रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीया की आराजीया में जाने के लिये 2533 से जुडा हुआ रास्ता चालू है आराजी संख्या 1968 में इनकी बावडी संयुक्त दर्ज है जिनका पानी को धोरा व रास्ता आराजीयात नंबर 2533 के पश्चिमी मेर के सहारे होते हुए पूर्वी मेर के सहारे होते हुए तलाई की पार के पास होते हुए अपनी आराजी संख्या 2544, 2541, व 2545 में पहुंचा जा सकता है व वर्तमान में इसी जगह रास्ता चालु होकर आ जा रही है विकल्प में रास्ता मौजूद होने पर भी प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीयां का रास्ता विपक्षी संख्या 2 की आराजी नंबर 2546 में होकर नहीं जाता है बल्कि प्रार्थीया के अपनी आराजीयात पर आने जाने का पुस्तैनी वैकल्पिक रास्ता मौजूद है प्रार्थीया की आराजीयात में जाने के लिये 2533 से जुडा हुआ रास्ता चालू है आराजी संख्या 1968 में इनकी बावडी संयुक्त दर्ज है जिनका पानी को धोरा व रास्ता आराजीयात नंबर 2533 के पश्चिमी मेर के सहारे होते हुए पूर्वी मेर के सहारे होते हुए तलाई की पार के पास होते हुए अपनी आराजी संख्या 2544, 2541, व 2545 में पहुंचा जा सकता है व वर्तमान में इसी जगह रास्ता चालु होकर आ जा रही है विकल्प में रास्ता मौजूद होने पर भी प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 2 को परेशान करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक धमाणा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11.06.2019 में अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाने से आपत्ति स्वीकार की जाकर पुनः तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 अनुसार प्रार्थीया को अपने आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुंच हेतु निकटतम मार्ग आराजी नंबर 2546 में से प्रस्तावित किया गया है किसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। अप्रार्थी संख्या 2 इसकी एवज में कोई भूमि नहीं चाहता है व न किसी प्रकार की रास्ते बाबत् सहमति हो पायी है। आराजी नंबर 2546 की दक्षिणी मेर के सहारे 4 × 32 मीटर = 128 वर्ग मीटर भूमि बनती है। उक्त आराजीयात की डीएलसी रेट 6380 रूपये प्रति ऐयर से 6080 × 1.28 = 8166 रूपये जिसका दुगुना करने पर 16332 रूपये बनते है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया की आराजीयात 2545 रकबा 0.32 हैक्टर स्थित है जिसपर पहुंच हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं है विपक्षीगण की ओर से तालाब की ओर से जो रास्ता बताया गया है वो रेकार्डेड रास्ता नही है साथ ही वर्षा ऋतु में वहां से आवागमन संभव नहीं है अतः श्रीमान से निवेदन है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 अनुरूप रास्ता दिलाये जाने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित आराजी संख्या 2546 से बताया गया रास्ता निकटतम नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 कालूराम की आराजीयात से रास्ता दिया जाता है तो निकटतम रास्ता है व प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व प्रस्तावित मार्ग निकटतम मार्ग है अतः यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा की आराजी नम्बर 2546 की दक्षिणी मेर के सहारे 4 × 32 मीटर = 128 वर्ग मीटर भूमि बनती है, जो भैरूलाल पिता बिहारीलाल दर्जी साकिनदेह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड जो कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 के प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में लाल स्याही के रेखाकिंत भाग को हॉल नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम हेतु अविलम्ब तरमीम करते हूए उक्त रास्ते के भू0भाग को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने बाबत् तहसीलदार कपासन को आदेशित किया जाता है। उक्त आराजीयात की डीएलसी रेट 6380 रूपये प्रति ऐयर से 6080 × 1.28 = 8166 रूपये जिसका दुगुना करने पर 16332 रूपये बनते है।

जो कि भैरूलाल पिता बिहारीलाल दर्जी निवासी धमाणा जिला चित्तौडगढ हाल निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर को देय है को जरिये प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:29 IST
Reason: SelfAttested